न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 02 / 2022

1 सरजीत सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह उम्र 45 साल जाति राजपूत निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 उदयसिंह पुत्र सतीदान सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 महेश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 भगवान सिंह पुत्र मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी उदयसिंह बनाम महेश सिंह वगै. मु.नं. 149 / 2021 आवेदन पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधि.

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री मनिन्द्र बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2

—निर्णय—

दिनांकः— 10/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 149/2021 में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1261, 1262, 1263, 1301, 2293/1256, 2295/1261, 1258, 1300 वाके ग्राम मणकसास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 महेश सिंह सगे भाई है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 उदयसिंह अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का सगा चाचा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने आवेदन पत्र में दर्ज किया है कि वह दिल्ली पुलिस से एस.आई. पद से सेवानिवृत है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जानबूझकर अपीलान्ट के साथ झगड़ा फसाद करता है और मारपीट करता है इसी दौरान उसने दिनांक 29.05.2021 को प्रार्थी/अपीलान्ट का गेट रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के द्वारा तोड़ा गया तथा अपीलान्ट के साथ मारपीट की गई तथा दिनांक 01.06.2021 को पुनः प्रार्थी/अपीलान्ट के साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1, मदनकंवर पत्नी उदयसिंह, हमीर सिंह पुत्र उदयसिंह, दुर्गाकंवर पत्नी हमीरसिंह के द्वारा मारपीट की गई। रेस्पोडेन्ट इस बात से लेकर प्रार्थी के साथ रंजिश रखता है और प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 203/2021 दर्ज करवाई थी। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जानबूझकर प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में बने मकानों के आगे से होकर रास्ता लेने का मुकदमा झुठा किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने आवेदन पत्र में भूमि खसरा नम्बर 1258 रकबा 0.6700 हैक्टेयर में बने ट्यूबवेल का शामलाती होना मिथ्या दर्ज किया है उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उक्त ट्यूबवेल प्रार्थी/अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1258 में बना हुआ है उक्त ट्यूबवेल से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कोई संबन्ध नहीं है। वर्तमान समय में उक्त कुए में पानी नहीं है इसलिए ट्यूबवैल पर लोरिंग मशीन आदि ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्यूबवैल के संबंध में अपीलान्ट की जवाबदेही को विचारण न्यायालय ने कन्सिड नही कर कानूनी भूल की है। ग्राम मणकसास से राजीवपुरा ग्राम को जाने वाली सड़क से उत्तरी पश्चिमी की ओर से कटाणशुदा रास्ता मौजुद है जिससे प्रार्थी/अपीलान्ट भी अपनी भूमि खसरा नम्बर 1264, 1265 में जाता है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की भूमि खसरा नम्बर 1263 भी उक्त कटाणशुदा रास्ते पर लगती है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास अपनी भूमि खसरा नम्बर 1262, 2295/1261, 2293/1256, 1261, 1301 में जाने के लिए उसकी स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 1263 कटाण के रास्ते पर लगती है इसलिए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की मंशा भी यही है किसी खातेदार के पास उसकी कृषि भूमि में आने जाने एवं जोत के लिए रास्ता का अभवा हो एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो वह रास्ते की मांग कर सकता है किसी भी पक्षकार को उसकी सुविधा के अनुसार रास्ते के लिए आवेदन करने का अधिकार नहीं है न ही उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता उपलब्ध होगा। विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने आवेदन पत्र में जो प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1257 में से होकर चाहा है वह रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है और ना ही उक्त रास्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की भूमि में कभी रहा है। प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी सुविधा के लिए अपने खेत में बने मकानों में आने जाने के लिए अपने खेत की सींव पर गेट लगा रखा है वह उसका स्वयं का अपने खेत में जाने के लिए निजी रास्ता है। पटवारी हल्का मणकसास द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया है जिसमें मार्क ए से बी दर्शाया है उक्त स्थान पर प्रार्थी/अपीलान्ट का मुर्गी फार्म अवस्थित है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 1257 में से चाहे गये रास्ते बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में भारी भूल की है। दिनांक 04.02.2006 को प्रार्थी/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के मध्य रास्ते के संबंध में कोई

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समझौता नहीं हुआ था अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के मध्य आपसी सहमति से अपनी–अपनी कृषि भूमि का विभाजन को गया था तथा दोनों ही पक्षकार अपनी–अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए अलग–अलग रास्तों का उपयोग उपभोग करते आ रहे है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के आवेदन पत्र को स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने ट्यूबवेल के लिए रास्ते की मांग की है धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कृषि भूमि में जोत के लिए एवं आने जने के लिए रास्ते का प्रावधान है ट्यूबवैल पर जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। आई.एल.आर की रिपोर्ट पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उक्त रिपोर्ट प्रार्थी/अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। उक्त रिपोर्ट में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की भूमि खसरा नम्बर 1263 पर लगने वाले कटाण के रास्ते का नहीं दर्शाया गया है। इसलिए उक्त रिपोर्ट सरासर मिथ्या एवं काल्पनिक है। इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1261, 1262, 1263, 1301, 2293/1256, 2295/1261 कुल किता 6 कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर में आवागमन हेतु ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2319/1412, 1256, 1257 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को कटाणशुदा/राजकीय रास्ता कायम करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर मौजुद तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1261, 1262, 1263, 1301, 2293/1256, 2295/1261 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2319/1412, 1256, 1257 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दूरी का मौजूद नहीं होना अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

5

ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना पत्र के जरिये ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 1261, 1262, 1263, 1301, 2293/1256, 2295/1261 कुल किता 6 कुल रकबा 2.7700 हैक्टेयर में आवागमन हेतु ग्राम मनकसास पटवार हल्का मनकसास के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 2319/1412, 1256, 1257 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से बिन्दु ए से बी तक दर्शाए गये रास्ते को कटाणशुदा/राजकीय रास्ता कायम करवाने का अनुतोष चाहा है।

पत्रावली पर मौजुद तहसीलदार उदयपुरवाटी से प्राप्त फर्द मौका के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1261, 1262, 1263, 1301, 2293/1256, 2295/1261 में आवागमन हेतु भूमि खसरा नम्बर 2319/1412, 1256, 1257 में से चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य रास्ता न्यूनतम दूरी का मौजूद नहीं होना अंकित किया गया है। इस मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। आवेदनकर्ता के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है।

विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर